



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर, वडोदरा-I
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX, VADODARA-I,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, रेस कोर्स सर्कल,
CENTRAL EXCISE BUILDING, RACE COURSE CIRCLE,
वडोदरा - ३९० ००७ / VADODARA - 390 007

ESTABLISHMENT ORDER NO. 58/2014
VADODARA, DATED - 18/11/2014

**Sub:- Voluntary retirement request made by Smt. R.U. Shaikh, Sweeper,
Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I-Reg.**

The notice of voluntary retirement w.e.f. 23.11.2014 (FN) tendered by Smt. R.U. Shaikh, Sweeper, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I under rule 48 (A1) of CCS Pension Rules, 1972 has been accepted by the Commissioner. Accordingly, she is allowed to proceed on voluntary retirement from Government service w.e.f 23.11.2014 (F.N.)

Before retirement, Smt. R.U. Shaikh, Sweeper Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I should deposit her Identity Card, Departmental Weapon (if held) and other Government articles to the Competent Authority.


(Abhay Kumar)

Joint Commissioner (P&V),
Central Excise, Customs & Service Tax,
Vadodara-I

F.No. 38/40/2008-Estt.

Vadodara, Date: 18.11.2014

Copy:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara Zone, Vadodara.
2. The Commissioner, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I.
3. The Commissioner (Appeal), Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara.
4. All Addl/Joint/Deputy/Assistant Commissioners of Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I.
5. The Chief Accounts Officer, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I.
6. The Pay & Accounts Officer, Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara.
7. The Superintendent (Vig.), Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I.
8. The Superintendent (Adm.), Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara-I.
9. Guard/Master/Posting File/Individual.



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर, वडोदरा-I,
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX, VADODARA-I,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, रेस कोर्स सर्कल,
CENTRAL EXCISE BUILDING, RACE COURSE CIRCLE,
वडोदरा - ३९० ००७ / VADODARA - 390 007

स्थापना आदेश सं. 58/2014
वडोदरा, दिनांक - 18/11/2014

विषय:-श्रीमति आर. यु. शेख, सफाई कर्मचारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर वडोदरा-I। द्वारा किए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निवेदन के बारे में।

श्रीमति आर. यु. शेख, सफाई कर्मचारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर वडोदरा-I। द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पुर्वाहन 23.11.2014 से प्रभावी की सुचना को केन्द्रीय सिविल सेवा, पेंशन नियम, 1972 के नियम 48 (ए-1) के तहत, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर वडोदरा-I। द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तदनुसार, उन्हें सरकारी सेवा से (पुर्वाहन 23.11.2014 से प्रभावी) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है।

सेवानिवृत्ति होने से पहले श्रीमति आर. यु. शेख, सफाई कर्मचारी, अपना पहचान पत्र एवं अन्य सरकारी वस्तुएँ, यदि हो तो, सक्षम अधिकारी के समक्ष अवश्य जमा करा दें।



(अभय कुमार)

संयुक्त आयुक्त(का. व स.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क
वडोदरा - I

फा. सं 39/40/2008-स्था

दिनांक - 18.11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा जोन, वडोदरा
2. आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
3. आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा
4. सभी अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
5. मुख्य लेखा अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
7. अधीक्षक(सतर्कता), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
8. अधीक्षक(प्रशासन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वडोदरा - १
9. व्यक्तिगत प्रति / गार्ड फाइल